रामगोपाल बनाम सीताराम

१८/२०२०

दिनांक	आज्ञा पत्र	
२8/8/२५	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ....खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर याद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 25/2020

1 रामगोपाल उम्र 72 साल पुत्र स्व. गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खुर्दी तहसील धोद जिला सीकर (राज.)। मो.नं. 8104682326

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र जगन्नाथ
2 हरदयाल पुत्र जगन्नाथ
3 गिरधारी पुत्र जगन्नाथ
4 श्यामसुन्दर पुत्र स्व. शिवभगवान
5 विनोद कुमार पुत्र स्व. शिवभगवान
6 अशोक कुमार पुत्र स्व. शिवभगवान
7 चन्दा देवी पत्नी स्व. शिवभगवान समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खुर्दी तहसील धोद जिला सीकर राज.।
8 सब रजिस्ट्रार धोद तहसील धोद जिला सीकर।
9 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नियमित अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीए विरूद्ध
डिक्री एवं निर्णय दिनांक 30.12.2019 न्यायालय
सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री राजपाल यादव आरएएस दावा संख्या 59/2009
बउनवानी रामगोपाल बनाम सीताराम आदि दावा
बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रभाती लाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2009 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

153 से 156 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वादे सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सर्वथा मिथ्या प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित तथ्यों का विचारण न्यायालय ने दावा संख्या 41/2008 के निर्णय एवं डिक्री से मिलान ही नही किया अर्थात दावा संख्या 41/2008 में विचारण न्यायालय के मुताबिक कब्जा काश्त अपीलान्ट के पक्ष में विभाजन की डिक्री पारित की थी जबकि वाद संख्या 59/2009 के वादी का विवाद बिन्दू यह था कि –" प्रतिवादी संख्या 1 मृतक खातेदार बद्रीप्रसाद का दत्तक पुत्र नहीं है जिस कारण बद्रीप्रसाद द्वारा मृत्यु के समय छोड़ी गई सम्पति में 1/4 हिस्सा वादी का है जिस कारण वादी को 1/6 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्से का काबित खातेदार कातश्कार घोषित किया जावें।" उक्त विवाद बिन्दू को दावा संख्या 41/2008 में तय नहीं किया नाही विवाद्यक कायम करके तय किया था फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अपीलान्ट ने समुचित जवाब प्रस्तुत किया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं वादपत्र का अवलोकन तक नहीं किया एवं निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर यह विवेचन गलत रूप से अंकित कर दिया कि– "उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संबंधित वाद उद्घोषणा का है जिसमें वादी ने विवादित आराजी खसरा संख्या 153 से 156 रकबा 8.96 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने एवं उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को बद्री का पुत्र बनकर हिस्सा दर्ज करवाया है का नाम हजफ करने की सहायता चाही है उक्त सहायता वादी का प्राप्त हो चुकी है अतः उन्हीं भूमियों की पुनः सहायता कानूनन प्रदान नहीं की जा सकती।" उक्त विवेचन सर्वथा विरूद्ध पत्रावली है क्योंकि दावा संख्या 41/2008 बद्रीप्रसाद का प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 पुत्र बनकर नामान्तकरण संख्या 40 दर्ज करवाया था उक्त नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया था नाही बद्रीप्रसाद की भूमियों के संबंध में अनुतोष प्रदान किया था बल्कि विभाजन का वाद डिक्री किया था फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। विचारण न्यायालय के सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में दिया गया निष्कर्ष को मान्य करके इस फाईण्डिंग को स्वीकार किया है कि " माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद का अथवा दत्तक पुत्र नही माना है प्रस्तुत वाद से एकमात्र बिन्दु तैय किया जाना है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि में दर्ज नाम हजफ योग्य है। अथवा नहीं यहां तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ की सहायता है उसके बारे में स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम, जगन्नाराम का वारिस है। जगन्नाथ के हिस्से की 1/2 भूमि में से 1/3 हिस्से को खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है जिसके कारण उसका नाम हजफ नहीं किया जा सकता है प्रतिवादी संख्या 1 के गोद के पिता के रूप में बद्रीप्रसाद का नाम दर्ज है तो वह दुरूस्त करवा सकता है उससे वादी पर कोई प्रभाव नही पड़ता है"। इस फाईण्डिंग का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा पिता जगन्नाथ से प्राप्त होना मान्य किया है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की सम्पदा में से नहीं होकर बद्रीप्रसाद द्वारा मृत्यु के समय छोड़ी सम्पदा में से है। फिर भी विचारण न्यायालय ने आरबीट्रेरी निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन में जो तथ्य अंकित किये वे तथ्य विधि का प्रश्न नहीं होकर तथ्य का प्रश्न है जिस कारण वादपत्र को विवाद्यक कायम करके साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात ही निर्णित किया जा सकता था जिसके संबंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की रूलिंग्स भी प्रस्तुत की परन्तु उक्त रूलिंग्स का विचारण न्यायालय ने विवेचन तक नहीं किया और सरसरी तौर पर ही यह अंकित कर दिया कि– " वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है"। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दावा संख्या 41/2008 बउनवानी रामगोपाल वनाम इन्द्रा आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करके इस आवेदन में स्वीकार किया दूसरी तरफ इस तथ्य को छुपाया की उसने दावा संख्या 41/2008 में पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.07.2011 के विरूद्ध अपील संख्या 68/2014 बउनवानी सीताराम बनाम रामगोपाल आदि प्रस्तुत कर रखी है।" उक्त अपील की आर्डरशीट एवं अपील मेमो की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको बद्रीप्रसाद का दत्तक पुत्र बताकर दावा संख्या 41/2008 को खारिज करवाने का अपीलीय न्यायालय से अनुतोष मांग रखा है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात पर गौर ही नही किया इसलिये चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा वाद विवादित आराजियात में दर्ज 1/6 हिस्से के स्थान पर अपना 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवाने तथा सीताराम पुत्र बद्री का 1/3 हिस्सा को निरस्त करने का प्रस्तुत किया है। पूर्व वाद पत्र की प्रति के अनुसार वादी द्वारा उपर्युक्त विवादग्रस्त भूमियों में से 1/6 के बजाये 1/4 हिस्से की खातेदारी उद्घोषित करवाने तथा बंटवारा करने की सहायता चाही गई थी। नामान्तकरण संख्या 196 व जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार वादी को कुल रकवा 8.96 हैक्टेयर का 1/4 अर्थात 2.24 हैक्टेयर के बदले 2.25 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्राप्त होकर बंटवारा हो चुका है। सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद का या दत्तक पुत्र नहीं माना है। प्रस्तुत वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में एक मात्र बिन्दु जो तय किया जाना है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि में दर्ज नाम हजफ योग्य है अथवा नहीं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हजफ की सहायता है उसके बारे में स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम जगन्नाथ का वारिस है। जगन्नाथ के हिस्से की 1/2 भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है। जिसके कारण उसका नाम हजफ नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 के गोद के पिता के रूप में बद्री का नाम दर्ज हो तो वह दुरूस्त करवा सकता है। उससे वादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में चाहे गये अनुतोष 8.96 हैक्टेयर में से 1/4 या 2.16 हैक्टेयर से अधिक 2.25 हैक्टेयर की भूमि डिक्री से वादी को प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद विवादित आराजियात में दर्ज 1/6 हिस्से के स्थान पर अपना 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवाने तथा सीताराम पुत्र बद्री का 1/3 हिस्सा को निरस्त करने का प्रस्तुत किया है। पूर्व वाद पत्र की प्रति के अनुसार वादी द्वारा उपर्युक्त विवादग्रस्त भूमियों में से 1/6 के बजाये 1/4 हिस्से की खातेदारी उद्घोषित करवाने तथा बंटवारा करने की सहायता चाही गई थी। नामान्तकरण संख्या 196 व जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार वादी को कुल रकबा 8.96 हैक्टेयर का 1/4 अर्थात 2.24 हैक्टेयर के बदले 2.25 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्राप्त होकर बंटवारा हो चुका है। सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद का या दत्तक पुत्र नहीं माना है। प्रस्तुत वाद में एक मात्र बिन्दु जो तय किया जाना है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि में दर्ज नाम हजफ योग्य है अथवा नहीं। जहां तक प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

संख्या 1 के नाम हजफ की सहायता है उसके बारे में स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम जगन्नाथ का वारिस है। जगन्नाथ के हिस्से की 1/2 भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है। जिसके कारण उसका नाम हजफ नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 के गोद के पिता के रूप में बद्री का नाम दर्ज हो तो वह दुरूस्त करवा सकता है। उससे वादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में चाहे गये अनुतोष 8.96 हैक्टेयर में से 1/4 या 2.16 हैक्टेयर से अधिक 2.25 हैक्टेयर की भूमि डिक्री से वादी को प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर